कार्यालय कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण, दुर्ग

प्रथम तल जिला पंचायत दुर्ग

EMAIL-cssdadurg@gmail.com

क्र.सहा.संचा. / DSDA / कौ.वि. / मोबीलाईजेशन / 2024–25 / 178 दुर्ग दिनांक 16.10.2024

::आदेश::

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर के पत्र क्रमांक / 761 / CSSDA/कौशल पखवाड़ा / 2024–25 रायपुर दिनांक 10.10.2024 के निर्देशानुसार जिले में संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं हेतु प्रस्तावित लक्ष्य की पूर्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम में गति लाने तथा ग्रामीण स्तर के युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण की पहुंच बनाने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवाओं का उन्मुखीकरण, पंजीयन एवं काउंसलिंग हेतु विकासखंड स्तर पर दिनांक 14.10.2024 से 30.10.2024 तक निम्नानुसार तिथियों में कौशल पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। जिसमें चयनित युवाओं को रूचि एवं आवश्यकता के अनरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

क्र	विकासखंड	दिनांक	स्थान	समय
1	दुर्ग	17.10.2024	शासकीय आई.टी.आई दुर्ग	प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक
		21.10.2024		
		24.10.2024		
2	धमधा	18.10.2024	शासकीय आई.टी.आई धमधा	
		22.10.2024		
		25.10.2024		
3	पाटन	18.10.2024	शासकीय आई.टी.आई पाटन	
		24.10.2024		
		26.10.2024		

अतः तत्संबंध में सर्व संबंधित संस्था / व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न मोबीलाईजेशन कैलेण्डर अनुसार उक्त तिथियों में आयोजित कैम्प के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयन करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्तानुसार मोबीलाईजेशन / काउंसलिंग में चयनित हितग्राहियो की सूची पूर्ण विवरण सहित कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक
जिला कौशल विकास प्राधिकरण, दुर्ग

क्र.सहा.संचा. / DSDA / कौ.वि. / मोबीलाईजेशन / 2024–25 / 179 दुर्ग दिनांक 16.10.2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी को प्रमुख समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग / धमधा / पाटन को सूचनार्थ कर लेख है कि अपने अधीनस्थ सचिव / सरपंच / एडीईओ / रोजगार सहायक के माध्यम से मुनादी एवं व्यापक प्रचार–प्रसार कर एवं क्षेत्रिय अमलो के द्वारा प्रत्येक ग्राम में अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि में काउंसिलिंग में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
5. सहायक परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दुर्ग / भिलाई / भिलाई–3 / कुम्हारी / जामुल / अहिवारा / धमधा / पाटन / उतई को व्यापक प्रसार प्रसार कर हितग्राहियों को काउंसलिग में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

6. सर्व संबंधित विभाग/संस्था प्रमुख...........................को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त तिथि में आयोजित काउंसलिंग स्थल में आवश्यक व्यवस्था (बैठक व्यवस्था/प्रोजेक्टर एवं पेयजल) करना सुनिश्चित करें।
7. सर्व संबंधित संस्था प्रमुख (वी.टी.पी)..............................को सूचनार्थ कर लेख है कि आयोजित उन्मुखीकरण एवं काउंसलिंग कार्य हेतु Powerpoint Presentation एवं प्रचार प्रसार सामग्री बैनर पॉम्पलेट्स के साथ उपस्थिति होना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
जिला कौशल विकास प्राधिकरण, दुर्ग